स्थापित–बसन्त 1973

कॉलेज कोड–1208

अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय

दूबेछपरा, बलिया (उ0प्र0)–277205

सम्बद्ध : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ0प्र0)

Website : anmsm.org.in

E-mail : pracharyaanmpgc@gmail.com

पत्रांक–......................

दिनांक–12-05-26

प्रवेश हेतु सामान्य नियम

01. प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें महाविद्यालय की anmsm.in बेवसाईट पर दी जायेगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय की बेवसाईट नियमित रूप से देखते रहें।
02. "JNCURN" द्वारा प्राप्त करने हेतु समर्थ पोर्टल पर 100/– शुल्क सहित पंजीकरण अनिवार्य है। इसके पश्चात् महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 200/– देय होगा तथा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश बिलम्ब शुल्क अतिरिक्त देय होगा। प्रवेश हेतु जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
03. अभ्यर्थी का अपने आवेदन श्रेणी में ही प्रवेश होगा।
04. अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र स्वयं भरा जायेगा तथा अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
05. उत्तर प्रदेश शासन तथा जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की नियमावली व महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा समय–समय या निर्गत होने वाले दिशा–निर्देश आवेदक को मान्य होंगे।
06. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश अधिनियम के प्रावधान पूर्णतः लागू होंगें। आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जायेगी। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जायेगा।
07. प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0)/माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रवेश के समय मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त के अभाव में प्रवेश अस्थाई होगा और प्रवेश से एक सप्ताह तक ही वैध होगा।
08. मेरिट के क्रमानुसार अभ्यर्थियों को विषय का आवंटन होगा।
09. गलत/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों का गोपन कर प्रवेश लिया जाता है तो संज्ञान होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11. मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग अथवा अन्य किसी असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर बिना कारण बताये महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
12. किसी भी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम तीन वर्ष का अन्तराल अनुमन्य होगा।

प्राचार्य

प्राचार्य
अमर नाथ मिश्र
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दुबेछपरा बलिया 'उ0प्र0'

स्थापित-बसन्त 1973

कॉलेज कोड-1208

अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय

दूबेछपरा, बलिया (उ0प्र0)-277205

सम्बद्ध : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ0प्र0)

Website : anmsm.org.in

E-mail : pracharyaanmpgc@gmail.com

पत्रांक-........................

दिनांक-12-05-26

प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

01. अनुसूचित जाति के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिय 2 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उत्तर प्रदेश में मान्य है। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।

02. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं चालन निःशक्तता या प्रभस्तिकीय संघात) के लिए पृथक–पृथक स्थान सम्बन्धित संवर्ग के श्रेणी की आरक्षित होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण, चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने पर प्रदान किया जायेगा।

03. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत सीट आरक्षित होगी।

04. महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत सम्बन्धित संवर्गों में श्रेणीवार आरक्षित होगा। महिलाओं के कुल आरक्षित सीटों में से 2 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग के श्रेणी का आरक्षित होगी।

05. उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 मार्च 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

प्राचार्य

प्राचार्य
अमर नाथ मिश्र
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दूबेछपरा बलिया 'उ0प्र0'

स्थापित–बसन्त 1973

कॉलेज कोड–1208

आज़ादी का अमृत महोत्सव
G20 भारत 2023 INDIA
स्वच्छ भारत
मिशन शक्ति

अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय

50th YEARS Celebrating

दूबेछपरा, बलिया (उ0प्र0)–277205

सम्बद्ध : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ0प्र0)

Website : anmsm.org.in

E-mail : pracharyaanmpgc@gmail.com

पत्रांक–........................

दिनांक–12-05-26

अधिभार के नियम

01. राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर्विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 10% अधिभारांक दिया जायेगा।
02. नेशनल कैडेट कोर के (सी) प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा महिला अभ्यर्थी जी–2 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत

या

03. नेशनल कैडेट कोर के (बी) प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा महिला अभ्यर्थी जी–1 प्रमाण–पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत
04. राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 या 2 से अधिक शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत
05. राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 10%
06. राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को 10%
07. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेंजर्स राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को 5%
08. स्काउट एवं गाइड्स का ध्रुवपद या गुरुपद अथवा रोवर्स/रेंजर्स तृतीय सोपान मे प्रवीण प्रशिक्षण अभ्यर्थी को 10%
09. ऐसे अभ्यर्थी जिसके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड में सेवारत हो या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण–पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए 15%
10. महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो ऐसे महिला अभ्यर्थी को विधिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. ऐसे अभ्यर्थी जिसके पिता/पति महाविद्यालय में पूर्व में या वर्तमान में सेवारत हो उन्हें 10 प्रतिशत का अधिभार प्रदान होगा।
12. अधिकत अधिभार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।
13. अधिकतम अंक से अधिक अंक नहीं प्रदान किये जायेंगे।

प्राचार्य

प्राचार्य
अमर नाथ मिश्र
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दुबेछपरा बलिया 'उ0प्र0'